उपस्थित नहीं हुआ । यद्यपि, न्यायहित में निर्धारिती को एक और अवसर देते हुए अपील की सुनवाई 27.11.2018 के लिए स्थगित की गई । इस तारीख के लिए निर्धारिती को रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रेषित किया गया था जो निर्धारिती को उचित रूप से तामील हुआ था जैसा कि अभिलेख पर मौजूद एडी कार्ड से प्रकट है । यद्यपि, दिनांक 27.11.2018 को इस अपील की सुनवाई के समय न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया । यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती उसकी अपील को जारी रखने का इच्छुक नहीं है। अतः, इसे अनिश्चित अवधि तक न्यायनिर्णयन हेतु लंबित नहीं रखा जा सकता । इस तथ्य की दृष्टि में, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती की अपील खारिज करने योग्य है । हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा समर्थित है-

1) 118 आईटीआर 461 में ज्ञापित (सुसंगत पृष्ठ 477 एवं 478) आयकर आयुक्त बनाम बी.एन. भट्टाचार्जी तथा अन्य के प्रकरण में, जिसमें न्यायाधिकारियों ने अभिधारित किया है-

> " अपील का अर्थ केवल अपील दाखिल करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी अनुसरण है।"

2) इस्टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयुक्त के प्रकरण, 223 आईटीआर 480 (म.प्र.), में निर्धारिती की प्रार्थना पर किए गए संदर्भ को व्यतिक्रम में खारिज करते हुए उनके आदेश में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

> " यदि कोई पक्ष, जिसके अनुरोध पर संदर्भ किया गया है, सुनवाई में उपस्थित होने में विफल होता है या अभिलेख पुस्तिका तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में, ताकि संदर्भ की सुनवाई की जा सकें, विफल होता है, तो न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है।"

3) आयकर आयुक्त बनाम मल्टीप्लान इन्डिया लिमिटेड के प्रकरण, 38 आईटीडी 320 (दिल्ली), में राजस्व द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की गई थी जिसे सुनवाई हेतु नियत किया गया था। परंतु सुनवाई की तारीख पर, किसी ने राजस्व/ अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया न